प्रश्न सं. [क्र. 1313]

संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

4.47 संवेदन शील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नलिखित प्रावधान अनुसार नियंत्रित होंगी :—

(अ) बड़े तालाब के किनारे से न्यूनतम 50 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रखा जायेगा। अन्य तालाबों के संदर्भ में यह प्रावधान किया जाता है कि तालाबों के किनारे से 33 मीटर का क्षेत्र रखा जावेगा। इस श्रेणी में जो तालाब सम्मिलित है, वे निम्नानुसार है:—

— कलियासोत

— शाहपुरा (तृतीय तालाब) (unbunded lake edge)

— केरवा

— हताईखेड़ा

— लहारपुर एवं

— छोटा तालाब

(ब) कलियासोत नदी के किनारे से दोनों ओर 33 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जायेगा एवं इसमें वृक्षारोपण किया जावेगा।

(स) मुख्य नहर के मध्य से 30 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जायेगा।

(द) नाला एवं शाखा नहर के दोनों ओर 3–3 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जावेगा।

— नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठने की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है।

— प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक/विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा। इन स्मारकों के रख-रखा को प्रोत्साहित किया जाएगा।

— बड़ी एवं छोटी झील में मल प्रवाह को अनुमति नहीं दी जावेगी।

— पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्रोतों के केचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जायेगा जिससे कि बड़ी एवं छोटी झील में जलीय घासफूस एवं अन्य ऐसी गतिविधियां जो भूमि कटाव करती हैं, को रोका जा सके। संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए।

— नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के निश्चेष्ट आमोद-प्रमोद या प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे।

— झीलों के संरक्षण एवं पानी की गुणवत्ता बनाए रखने संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।

— झील के किनारे के क्षेत्रों में अपने भवनों को व्यक्तिगत सेप्टिक टेंक, मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाये, जोड़ना होगा।

— नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान भवनों में आच्छादित क्षेत्र में या एफ. ए. आर. में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी बशर्ते कि पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी हो।

— संवेदनशील क्षेत्रों मे निम्न श्रेणी के संग्रहण एवं विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे:—

— ऐतिहासिक महत्व

— नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन

— प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हों, तो भी

— समय-समय पर उत्खनित खोजी गई विरासतीय भवन।

नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन

4.48 सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से विरासत महत्व के स्मृति चिन्हों के संरक्षण एवं सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए। जब तक इस प्रकार का अध्ययन एवं प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु तैयार होते हैं तब तक सक्षम प्राधिकारी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय